# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2020-00060RAAJodhpur2020-030RTA223Goparam Vs Mangalaram

1. गोपाराम पुत्र थुडारामू विश्नोई
   निवासी खारा (शिमला), तहसील फलोदी
   जिला जोधपुर
2. पारू पुत्री थुडाराम पत्नी बागाराम बाना विश्नोई
   निवासी सांवरीज, तहसील फलोदी
   जिला जोधपुर

**अपीलाण्ट्स...**

**ब**

**ना**

**म**

1. मंगलाराम पुत्र जसवन्ताराम विश्नोई
   निवासी खारा (शिमला) तहसील फलोदी
   जिला जोधपुर
2. सुरती पुत्री जसवन्ताराम पत्नी कालूराम के कायममुकामान-
   a. गोपाराम पुत्र कालुराम विश्नोई
   b. सहीराम पुत्र कालुराम विश्नोई
   c. सुगनी पुत्री कालुराम विश्नोई
   d. रामबाबू पुत्र कालुराम विश्नोई
   e. अणदाराम पुत्र कालुराम विश्नोई
   f. पालू पुत्री कालुराम विश्नोई
      निवासीगण लोहावट मूलराज नगर
      तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
3. गोमती पुत्री जसवन्ताराम विश्नोई
   निवासी लोहावट मूलराजनगर
   तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
4. तुलछी पुत्री जसवन्ताराम विश्नोई
   निवासी ढढू, तहसील फलोदी
   जिला जोधपुर

**रेस्पो. ...**

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 फरवरी 2020 सहायक कलेक्टर, फलोदी राजस्व वाद संख्या 204/2009 मंगलाराम व अन्य बनाम गोपाराम इत्यादि**

---

**उपस्थित-**

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री सुगनमल परिहार एवं श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री गुलाबसिंह चम्पावत, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री ओमप्रकाश विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो से चार

## नि र्ण य

**दिनांक : 01 अक्तू. 2020**

अपीलाण्ट्स ने विद्वान सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 204/2009 मंगलाराम व अन्य बनाम गोपाराम आदि में पारित आदेश दिनांक 20 फरवरी 2020 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष आलौच्य अपील दिनांक 25 फरवरी 2020 को प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के तहत ग्राम खारा के शिवपुरी व शिमला स्थित आराजी खसरा संख्या 106 रकबा 73 बीघा 02 बिस्वा, खसरा संख्या 127 रकबा 34 बीघा, खसरा संख्या 129 रकबा 80 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 133 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 179 रकबा 36 बीघा 11 बिस्वा हिन्दू संयुक्त परिवार की होकर वादीगण-रेस्पो. की पैतृक सम्पत्ति होना एवं उक्त आराजियात में वादीगण-रेस्पो. का ½ हक-हिस्सा की भूमि बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया। प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स की ओर से उक्त वाद का जबाब पेश कर वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी भूमि होने का खण्डन किया गया और उक्त आराजियात प्रतिवादी-अपीलाण्ट संख्या एक के पिता की स्वार्जित भूमि होना जाहिर किया और बताया कि वादी एवं प्रतिवादी के पूर्वज कमशः जसवंता एवं थूडा संवत 2009 में ही अलग-अलग हो गये थे, और वक्त सेटलमेण्ट वादी के पूर्वज जसवंता ने भू-प्रबंध अधिकारियों

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के समक्ष उपस्थित होकर वादग्रस्त आराजियात बाबत राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी के पूर्वज धूडा के नाम इंद्राजात करवाये थे। दावे एवं जबाब के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात कायम की गयी और उभयपक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद उक्त वाद जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 20 फरवरी 2020 को वादीगण-रेस्पो. के पक्ष में डिकी कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील पेश की है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स का कथन है कि वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी भूमि नहीं है, अपितु प्रतिवादी संख्या एक की अकेले की खतोदारी की भूमि है, संवत 2010 की पर्चा खतौनी में जसवंता व धूडा का नाम दर्ज हो गया, मगर जसवंता ने गांव के मुखिया सहित सहायक भू-प्रबंध अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर वादग्रस्त आराजियात अकेले धूडा की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होना तथा पर्चा लगान में धूडा के साथ जसवंता का नाम भूल से दर्ज हो जाना जाहिर किया। जिसके आधार पर मिसल संख्या 657 में आदेश पारित किया जाकर वादग्रस्त आजियात अकेले धूडा के नाम दर्ज की गयी, जिस पर जसवंता और धूडा की सहमति और गांव के मुखिया और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों की साक्ष्य स्वरुप हस्ताक्षर भी है। खसरा संख्या 202 व 206 क पर्चा भी दोनों की मौजूदगी में मिसल संख्या 656 के जरिये जारी किया गया था। इसके बाद वादग्रस्त आराजियात के लगान संशोधन हेतु प्रार्थनापत्र अकेले धूडा द्वारा पेश किया गया, जिसमें वादग्रस्त आराजियात अकेले धूडा की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होना दर्शाया गया है। इस प्रकार सक्षम अधिकारी के समक्ष वादीगण के पूर्वज द्वारा की गयी स्वीकारोक्ति के आधार पर राजस्व रिकार्ड में किये गये इन्द्राजाता को एक दीर्घावधि के बाद चुनौती दिये जाने का कोई ठोस आधार वादीगण-रेस्पो. द्वारा स्पष्ट नहीं किये जाने के उपरान्त भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादीगण-रेस्पो. का दावा मनमाने तौर पर स्वीकार कर लिया गया। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स का यह भी कथन है कि प्रस्तुत साक्ष्य-सबूत के आधार पर कतई साबित नहीं होता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय या उसके बाद वादीगण एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त परिवार रहा हो, संवत 2009 में ही जसवंता एवं धूडा अलग-अलग हो चुके थे, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कयासी आधारों पर वादग्रस्त आराजियात संयुक्त कब्जा काश्त की मानते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने में गम्भीर तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की है। वादग्रस्त आराजियात पर वादीगण का कब्जा सन् 1955 के पूर्व से ही नहीं है, ऐसी स्थिति में एडवर्स पजेशन के सिद्धान्त के आधार पर भी उन्हें कोई अनुतोष प्राप्त नहीं हो सकता है। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने न्यायालय का ध्यान 2017(2) आरआरटी 1004 एससी एवं 2011(2) आरआरटी 1170 की ओर आकर्षित किया तथा प्रपत्र तीन के संलग्न पर्चा लगान खसरा संख्या 238 व 237 बहक जसवंताराम तथा पर्चा लगान खसरा संख्या 239 व 240 बहस धूडाराम की फोटोप्रतिया पेश की।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने लिखित बहस पेश की और 2012(19) आरबीजे 667, 2008(1) आरआरटी 151, 2020(1) आरआरटी 37, 1998(5) आरबीजे 163 एवं 2003(2) आरआरटी 1027 की नजीरें तथा प्रपत्र तीन के संलग्न मौका रिपोर्ट पुलिस थाना फलोदी 145 व 146 सीआर.पी. सी. प्रस्तुत कर जाहिर किया कि भू-प्रबंध विभाग द्वारा सक्षम आदेश के बिना राजस्व अभिलेख के इन्द्राजात में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ग्राम खारा के खसरा संख्या 106, 127, 129, 133 व 179 की भूमि आलौच्य प्रकरण में विवादित भूमि है, खसरा संख्या 203 में संयुक्त ढाणी व नाडा बना हुआ है तथा खसरा संख्या 202 व 206 के संबंध में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कोई विवाद नहीं है। इन सभी आठों खसरान बाबत प्रतिवादीगण-अपीलाण्ड्स के पूर्वज थूडा और वादीगण-रेस्पो. के पूर्वज जसवंता के नाम संयुक्त पर्चा-खतौनी बनी थी, विवादित आराजियात का पर्चा लगान अकेले थूडाराम के नाम जारी किया गया जबकि अविवादित खसरान का पर्चा लगान व मिसल बंदोबस्त जसवंता व थूडा दोनों के संयुक्त नाम से पुश्तैनी ½-½ हक-हिस्से अनुसार जारी किये गये है, रेस्पो. मंगलाराम का संवत 2008 यानि जन्म से ही वादग्रस्त आराजियात में ½ हक-हिस्सा है। जसवंता एवं थूडा दोनों सगे भाई होने के संबंध में कोई विवाद नहीं है। संवत 2010 की पर्चा खतौनी प्रदर्श पी-4 व प्रदर्श डी-3 है, दोनों ही सेटलमेण्ट विभाग द्वारा जारी दस्तावेज है जिनमें उक्त आठों खसरान जसवंता व थूडा के नाम दर्ज है, कॉलम संख्या 4 कृषि काल में जसवंता व थूडा की संयुक्त काश्त कदीम से दर्शाई गयी है, कॉलम संख्या दो खसरा मय नाम खेत में उक्त आठों खसरान दर्ज है, खसरा संख्या 203 में संयुक्त ढाणी व नाडीया दर्ज किया गया है, कॉलम संख्या 3 में रकबा दर्शाया हुआ है और कालम संख्यसा 6 में वर्तमान का लगान पटाई अनाज का 1/6 हिस्सा दर्ज है। कॉलम संख्या 7 से 10 रिक्त है तथा कॉलम संख्या 11 के जरिये उक्त आठ खसरान में से विवादित खसरान नम्बरान के आगे सहायक भू-प्रबंध अधिकारी ने "खारिज" लिखे है यानि लगान बंदोबस्त का निर्धारण करते समय उक्त इन्द्राज खारिज लिखा जाकर कॉलम संख्या 11 अन्य विवरण में अकेले थूडा का नाम दर्ज हुआ लिखा है और पर्चा खतौनी की पुश्त पर दिनांक 10 सितम्बर 1954 को ए.एस.ओ. व रेवेन्यु निरीक्षक के हस्ताक्षर किये जाकर पर्चा खतौनी पूर्ण हो गई, जो मिसल संख्या 657 के जरिये उसके निर्णय दिनांक को जसवंता का हिस्सा अकेले थूडा के नाम दर्ज किया जाना बताया हैं। जिसकी दुरुस्ती की जाकर 24 मई 1955 को दायर की गयी मिसल का निर्णय दिनांक 06 नवम्बर 1955 को किया जाकर पर्चा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

लगान अकेले थूडा के नाम दर्ज किया। जो सहायक भू-प्रबंध अधिकारी पर्चा खतौनी के पुश्त भाग पर लिखा है कि इन्द्राज सही है, जिसको कार्यकर्ता ठिकाना व ग्राम मुखिया सही मानते है। बारीकी से देखने पर यह लाईन पहले लिखी हुई और आगे जो कुछ भी लिखा गया है, वह बाद में बैक-डेट में लिखा गया है। इसकी पुष्टि प्रदर्श डी-1 पर्चा लगान के कॉलम संख्या 6 से होती है जिसमें मिसल संख्या 657 के जरिये दिनांक 24 अगस्त 1955 की दुरुस्ती की गयी। अधिवक्ता-रेस्पो. ने दृढतापूर्वक कथन किया कि जब मिसल में निर्णय 06 नवम्बर 1955 को हुआ जो प्रदर्श 18 है, तो ऐसी स्थिति में उसके आधार पर पर्चा खतौनी संवत 2010 दिनांक 10 सितम्बर 1954 में दुरुस्ती कैसे की जा सकती है। अधिवक्ता-रेस्पो. ने यह भी कथन किया कि जसवन्ता व थूडा ½-½ हिस्सा मारवाड टीनेन्सी एक्ट 1949 के तहत खातेदार दर्ज हु ए थे जिन्हें दिनांक 18 फरवरी 1952 को जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की धारा 9 के तहत निरन्तर खातेदार दर्ज किये जाने का आदेश था जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 15 अक्तूबर 1955 को प्रभाव में आने पर सहखातेदार माने गये। मारवाड टीनेन्सी एक्ट 1949 की धारा 13 के तहत कोई भी खातेदारी अपनी इच्छा से खातेदारी समाप्त नहीं कर सकता था, जब तक इस संबंध में नयी काश्तकाकरी विधि नहीं बन जाती, तब तक वो ही निरन्तर खातेदार काश्तकार दर्ज थे, जो यथावत रहेंगे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव में आने के बाद खातेदारी अधिकार अर्जित करने के तरीके धारा 12(2), 13, 15, 19, 189(2), 193, 194(2), 39 (विधिमान्य वसीयत द्वारा), 40(विधिमान्य उत्तराधिकार द्वारा) व धारा 41(विधिमान्य हस्तान्तरण द्वारा) प्रावधित है। भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 101 व राजस्थान भू-आवण्टन नियम 1970 के नियम 18 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को नयी खातेदारी दी जा सकती है या परिवर्तन किया जा सकता है। 26 जनवरी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। संविधान के अनुच्छेद 31ए के तहत उस समय सम्पति का अधिकार मूल अधिकारों की श्रेणी में था, जसवंता व धूडा, दोनों भाई उस समय सहखातेदार विधिवत दर्ज थे, इस प्रकार सन् 1949 से लेकर आज तक अपीलाण्ट्स व रेस्पो. की सहखातेदारी विधिक दृष्टि से निरन्तर कायम है। वर्तमान में खसरा संख्या 106 में रेस्पो. संख्या 01 मंगलाराम की रहवासीय ढाणी, बाडा, पानी का टांका, पशुओं का बाडा आदि है तथा बकाया खसरा संख्या 122, 124, 133 व 179 के आधे हिस्से पर मौके पर सोनामुखी की फसल है। विवाद का मूल-बिन्दु स्वयं सेटलमेण्ट विभाग द्वारा जसवंता व धूडा को वादग्रस्त आराजियात बाबत ½-½ हिस्से का सहखतोदार दर्ज किये जाने के बाद मिसल संख्या 657 में आदेश दिनांक 06 नवम्बर 1955 के जरिये जसवंता का हिस्सा खारिज करते हुए सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजियात अकेले धूडा के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया जाना मात्र है। वस्तुतः उक्त आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव में आने के बाद लगान में कमी किये जाने बाबतजारी किया गया आदेश है, जिससे पूर्व ही दिनांक 10 सितम्बर 1954 को पर्चा लगान जसवंता व धूडा की सहखातेदारी बाबत राजस्व अधिकारियों के हस्ताक्षर होकर जारी हो चुका था, जिसमें बाद में दो लाइने बैकडेट से जोडी गयी। जो अवैध है। इसके अतिरिक्त सहायक भू-प्रबंध अधिकारी को इस प्रकार के इन्द्राजात करने का कोई अधिकार ही नहीं है। तर्क के लिए अधिकार होना मान भी लिया जावे, तो भी मिसल संख्या 657 के जरिये ऐसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि मिसल में उक्त आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव में आने के बाद पारित किया गया है, और यह मिसल वस्तुत बिगोडी कम किये जाने का प्रार्थनापत्र प्रदर्श पी-20 है जिसकी आदेशिका में बिगोडी कम करते हुए 15 रूपये 7 आने से घटा कर 10 रूपये 12 आना किये जाने बाबत पारित आदेश प्रदर्श पी-19 है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खातेदारी कम करने के संदर्भ में एक शब्द भी इस मिसल में अंकित नहीं था। अंत में अधिवक्ता-रेस्पो. ने प्रस्तुत नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों को दोहराया और अपील अपीलाण्ट्स सारहीन होने से तदनुसार खारिज किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख तथा प्रस्तुत नजीरों का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। आलौच्य मामले में मूल विवाद का बिन्दु सहायक भू-प्रबंध अधिकारी द्वारा दिनांक 10 सितम्बर 1954 को जसवंता व धूडा के नाम दर्ज वादग्रस्त आराजियात बाबत जसवंता का नाम खारिज किया जाकर अकेले धूडा के नाम समस्त भूमि दर्ज किया जाना है। इस परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध **पर्चा लगान प्रदर्श पी-4** की पुश्त पर निम्नानुसार इबारत अंकित है -

***"आज ठिकाने के कार्यकर्ता मुखिया गांव पटवारी तथा कृषक समुदाय के समक्ष उपरोक्त कृषक ने बयान किया कि इन्दाज परची ठीक है जिसको कार्यकर्ता ठिकाना व मुखिया गांव सही मानते है। जसवन्ता ने जाहिर किया कि नम्बर 106, 127, 129, 133, 179 अकेले धूडा के है, धूडा के नाम दर्ज कर दिये जावे।"***

उक्त इन्द्राज के नीचे जसवंता के अंगुष्ठ निशान सहित अन्य सभी संबंधित के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान है। हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 10.9.54 अंकित है।

जसवन्ता द्वारा ग्राम के मुखिया एवं अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समक्ष वादग्रस्त आराजियात में स्वयं का कोई हक-हिस्सा नहीं होना तथा समस्त वादग्रस्त आराजियात अकेले धूडा की होना जाहिर करने एवं तदनुसार समस्त वादग्रस्त आराजियात अकेले धूडा के नाम दर्ज कर दिये

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जाने बाबत सहमति दिये जाने के आधार पर किये गये उक्त इन्द्राज का विधि-विरुद्ध अथवा अनियमित नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह इन्द्राज प्रथम सेटलमेण्ट की कार्यवाही के समय किये गये है, प्रथम सेटलमेण्ट की कार्यवाही में भू-प्रबंध अधिकारी/सहायक भू-प्रबंध अधिकारी को व्यापक जॉच के अधिकार उपलब्ध थे और भू-प्रबंध की कार्यवाही में उजदारी आमन्त्रित कर उसकी जांच की जाकर बाद सुनवाई उसका निर्णय किये जाने के भी प्रावधान थे।

जहॉ तक अधिवक्ता-रेस्पो. के इस तर्क का प्रश्न है कि 6 नवम्बर 1955 को **मिसल संख्या 657** में लगान संशोधित किये जाने बाबत पारित आदेश की आड में **10 सितम्बर 1954** को जारी पर्चा लगान की पुश्त पर लिखी इबारत में बेकडेट में दो लाइन जोड कर जसवंता को उसके हिस्से की भूमि से वंचित कर दिया गया, मानने योग्य नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा है तो वादीगण-रेस्पो. को ***अन्य ग्राम बेंगटी के खसरा संख्या 237 व 238 की भूमि अकेले जसंवताराम के नाम वक्त सेटलमेण्ट दर्ज किये जाने, इतनी दीर्घावधि तक वादग्रस्त आराजियात के संबंध में किये गये इन्द्राजात बाबत कोई उज्र-एतराज नहीं किये जाने के संबंध में समुचित संतोषप्रद कारण मय औचित्य स्पष्ट करना चाहिये, जो नहीं किया गया।*** गांव बेंगटी के खसरा संख्या 237 व 238 अलग से अकेले जसवंता के नाम दर्ज होने से प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स के इस कथन की पुष्टि होती है कि जसवंता एवं धूडा संवत 2009 में अलग-अलग हो चुके थे।

इसके बाद दिनांक 24 अगस्त 1955 को धूडा वल्द विशना कौम विश्नोई द्वारा वादग्रस्त आराजियात की बिगोडी की दर-संशोधन हेतु एक आवेदन पेश किया गया, जो आवेदन मिसल संख्या 657/1955 पर जरिये आदेश दिनांक 06 नवम्बर 1955 को स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आराजियात की किस्म एवं बिगोडी दर-संशोधित की गयी और तदनुसार राजस्व रिकार्ड मे प्रविष्टियां की गयी। उल्लेखनीय है कि उक्त प्रार्थनापत्र **अकेले धूडा द्वारा पेश किया गया, जिसमें वादग्रस्त आराजियात उसने स्वयं की ही खातेदारी की होना वर्णित किया है।**

खसरा संख्या 202 एवं 206 की भूमि जसवंता व धूडा की संयुक्त खातेदारी की रखी गयी थी, जिसके संबंध में बिगोडी की दर-संशोधन हेतु जसवंता व धूडा पिसरान विशना कौम विश्नोई द्वारा वादग्रस्त आराजियात की बिगोडी की दर-संशोधन हेतु एक आवेदन पेश किया गया, जो आवेदन मिसल संख्या 656/1955 पर जरिये आदेश दिनांक 05 नवम्बर 1955 को स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजियात की किस्म एवं बिगोडी दर-संशोधित की गयी और तदनुसार राजस्व रिकार्ड मे प्रविष्टियां की गयी।

इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि संवत 2009 में खसरा **संख्या 237 एवं 238 का पर्चा लगान अकेले जसवंता वल्द विशना के नाम** जारी हुआ है।

इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहायक भू-प्रबंध अधिकारी द्वारा **10 सितम्बर 1954 को जारी पर्चा लगान की पुश्त** पर किये गये इन्द्राजात को अधिकार-विहीन मानते हुए तथा वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी भूमि मानते हुए **तनकी संख्या एक** (आया खेत खसरा संख्या 106 रकबा 73 बीघ 2 बिस्वा, खसरा संख्या 127 रकबा 34 बीघा, खसरा संख्या 129 रकबा 80 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 133 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 179 रकबा 36 बीघा 11 बिस्वा विवादित कृषि भूमि ग्राम खारा के राजस्व ग्राम शिमला व शिवपुरा में स्थित है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता की संयुक्त काश्त व सहखातेदारी दर्ज थी, इसलिए वादीगण एवं प्रतिवादीगण के साथ वादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

को ½ हिस्से का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जावे?) का वादीगण के पक्ष में किये गये निस्तारण अदालत हाजा सहमत नहीं है। इस संबंध में अधिवक्ता-रेस्पो. द्वारा जो नजीरें प्रस्तुत की गयी है, अदालत हाजा उनका सम्मान करती है और स्वयं अदालत हाजा अधिवक्ता-रेस्पो. के इस तर्क से सहमत है कि सक्षम आदेश के अभाव में अकारण पिछली प्रविष्टियों में भू-प्रबन्ध विभाग को कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिये। मगर आलौच्य मामला प्रथम भू-प्रबंध से संबंधित है, अतः सहायक भू-प्रबंध अधिकारी द्वारा उपरोक्त विवेचनानुसार की गयी सकारण सहमति से की गई कार्यवाही/आदेश को विधि-विरुद्ध नहीं कहा जा सकता है। अतः तनकी संख्या एक का निष्कर्ष वादी-रेस्पो. के खिलाफ पारित किया जाता है।

तनकी संख्या एक के निष्कर्ष के आधार पर **तनकी संख्या दो** (आया विवादित भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता की संयुक्त सहखातेदारी संवत 2010 की पर्चा खतौनी एवं खसरा बंदोबस्त में दर्ज होने के पश्चात एक सहखातेदार को सहखातेदारी से वंचित करने के लिए सेटलमेण्ट विभाग के ए.एस.ओ. द्वारा किया इन्द्राजात अवैध एवं शून्य है, जबकि पूरे सेटलमेण्ट विभाग को सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना पुराने इन्द्राजात को परिवर्तन करके किसी सहखातेदार के हक को समाप्त करने का अधिकार नहीं था?) का निस्तारण भी वादीगण-रेस्पो. के खिलाफ एवं प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट के पक्ष में किया जाता है।

**तनकी संख्या तीन** (आया विवादित भूमि में वादीगण का प्रतिवादीगण के साथ अपने हक व हिस्से के अनुसार कब्जा व काश्त है, जबकि प्रतिवादीगण अन्य व्यक्तियों एवं रिश्तेदारों के साथ मिलकर नाजायज तरीके से दबाकर वादीगण को बेदखल करना चाहता है, इस कारण वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा का अधिकारी है?) का निष्कर्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण-रेस्पो. के पक्ष में पारित किया है, जिससे अदालत हाजा सहमत नहीं है क्योंकि प्रथम, तनकी संख्या एक व दो के संबंध में किये गये विवेचन के अनुसार वादग्रस्त आराजियात के संबंध में वादीगण-रेस्पो. का कोई हक-हिस्सा साबित नहीं होता है। द्वितीय, वादग्रस्त आराजियात अथवा उसके किसी भू-भाग पर वादीगण-रेस्पो. का साधिकार कोई हक-हिस्सा हो, वादीगण-रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत के आधार पर यह तथ्य निर्विवाद रूप से सिद्ध नहीं होता है। अतः तनकी संख्या तीन का निस्तारण वादीगण-रेस्पो. के खिलाफ एवं प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स के पक्ष में किया जाता है।

तनकी संख्या तीन के विवेचन के प्रकाश में जब वादग्रस्त आराजियात के किसी भू-भाग पर वादीगण-रेस्पो. का कोई विधिक कब्जा ही सिद्ध नहीं होता है, अतः **तनकी संख्या चार** (आया वक्त सेटलमेण्ट के पूर्व व उसके बाद आज दिन तक शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त प्रतिवादीगण की जानकारी में चला आ रहा है, इसलिए एडवर्स पजेशन के आधार पर व हिन्दू विधि के अनुसार भी ½ हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है?) का निस्तारण भी वादीगण-रेस्पो. के खिलाफ किया जाता है।

**तनकी संख्या पॉच** (आया विवादित भूमि संयुकत हिन्दू परिवार की पीढियों से चली आ रही पुश्तैनी भूमि है, वक्त सेटलमेण्ट के पश्चात भी दोनों पक्षों का संयुक्त परिवार रहा है और सयुंक्त परिवार की आय से लगान आदि समस्त खर्च अदा किये गये है इसलिए वादीगण का भी प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रूप से ½ हक व हिस्सा बनता है। इस कारण खातेदारी घोषणा के अधिकारी है?) वस्तुतः तनकी संख्या एक व चार का मिश्रित रूप है। चूंकि तनकी संख्या एक व चार का निस्तारण वादीगण-रेस्पो. के खिलाफ हो चुका है। संवत 2009 तक जसवंता एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

धूडा संयुक्त परिवार के तौर पर रहते थे, उसके बाद खसरा संख्या 237 व 238 की आराजी जसवंता अकेले के नाम दर्ज की हुई, **वादग्रस्त आराजियात बाबत स्वयं जसवंता ने गांव मुखिया व अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ सहायक भू-प्रबंध अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 09 अक्तूबर 1954 को वादग्रस्त आराजियात अकेले धूडा की होना एवं अकेले धूडा के नाम दर्ज किये जाने के लिए निवेदन किया।** अतः तनकी संख्या पांच का निस्तारण वादीगण-रेस्पो. के पक्ष में नहीं किया जा सकता।

**तनकी संख्या छः** *(आया जसवन्ता ने विवादित खेत खसरान में अकेले धूडाराम का नाम दर्ज होने का कथन किया जो जरिये मिसल संख्या 657 दिनांक 24 अगस्त 1955 को संशोधन किया जाकर पर्चा लगान अकेले धूडाराम के नाम जारी किया था जिस कथन से वह पाबन्द है?)* के संबंध में वादग्रस्त आराजियात के संबंध जारी **पर्चा लगान प्रदर्श पी-4** की पुश्त पर निम्नानुसार इबारत अंकित है -

> *"आज ठिकाने के कार्यकर्ता मुखिया गांव पटवारी तथा कृषक समुदाय के समक्ष उपरोक्त कृषक ने बयान किया कि इन्दाज परची ठीक है जिसको कार्यकर्ता ठिकाना व मुखिया गांव सही मानते है। जसवन्ता ने जाहिर किया कि नम्बर 106, 127, 129, 133, 179 अकेले धूडा के है, धूडा के नाम दर्ज कर दिये जावे।"*

उक्त **इन्दाज के नीचे जसवंता के अंगुष्ठ निशान सहित अन्य सभी संबंधित के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान है।** हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 10.9.54 अंकित है। इससे जसवन्ता द्वारा विवादित खेत खसरान में अकेले धूडाराम का नाम दर्ज होने का कथन किया जाने का तथ्य भलीभांति सिद्ध हो जाता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय साक्ष्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

**अधिनियम में स्वीकारोक्ति को सर्वोत्तम साक्ष्य माना गया है।** अतः इन तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में तनकी संख्या छः का निर्णय प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स के पक्ष में बरखिलाफ वादीगण-रेस्पो. किया जाता है।

**तनकी संख्या सात** (आया वक्त सेटलमेण्ट असिसटेण्ट सेटलमेण्ट ऑफिसर एक सक्षम अधिकारी होता था, उस न्यायालय के निर्णय को जसवन्ता अथवा उसके वारिसान द्वारा चुनौती नहीं दी जाने से रूल आफ रेसज्युडिकेटा लागू होने से वादीगण यह दावा लाने के अधिकारी नहीं है?) को साबित करने के लिए वादीगण-रेस्पो. की ओर से पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया है, जिससे निर्विवाद रूप से यह सिद्ध होता हो कि वादग्रस्त आराजियात पक्षकारान की पुश्तैनी होकर संयुक्त खातेदारी की भूमि रही हो। प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स की ओर से जसंवता एवं धूडा संवत 2009 में अलग हो जाने का जो अभिकथन किया गया है, उसका भी वादीगण-रेस्पो. की ओर से किसी ठोस आधार पर खण्डन नहीं किया गया है। इसके विपरीत **अभिलेख पर स्वयं जसवंता द्वारा कार्यकर्ता ठिकाना, सरपंच ग्राम पंचायत एवं पटवारी के साथ सहायक भू-प्रबंध अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर वादग्रस्त आराजियात अकेले धूडा की होने एवं उसके नाम कर दिये जाने का निवेदन किया जाना अभिलेख पर उसके अंगुष्ठ निशान एवं अन्य उक्त वर्णित व्यक्तियों के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ-निशान से साबित है।** जो नजीरें इस संबंध में वादी-पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गयी है, उनसे संबंधित प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा भू-प्रबंध अधिकारी/सहायक भू-प्रबंध अधिकारी को भू-प्रबंध की कार्यवाही के दौरान भूल-सुधार/संशोधन हेतु सक्षम अधिकारी माना गया है। अतः

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सहायक भू-प्रबंध अधिकारी की सक्षमता की सीमा तक इस तनकी बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्ष अपास्त किया जाकर प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स के पक्ष में बरखिलाफ वादीगण-रेस्पो. पारित किया जाता है।

इसी तनकी के द्वितीय हिस्से में वाद रेसज्युडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित होने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण-रेस्पो. के पक्ष में निष्कर्ष पारित किया गया है, जिससे अदालत हाजा सहमत है।

तनकी संख्या आठ ***(आया वादीगण द्वारा वाद पत्र में कोई व्यवहारकरण होना नहीं बतलाया गया है? जिससे वाद वादीण चलने योग्य नहीं है?)*** के संदर्भ में वादपत्र के पद संख्या 8 में वादकरण उत्पत्ति का विवरण दिया गया है। प्रथम दिनांक 01 अगस्त 2009 को वादीगण-रेस्पो. द्वारा अपने हक व हिस्से के अनुसार भूमि (स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस खसरा की किस स्थान विशेष की भूमि पर?) पत्थर डलवाये तो प्रतिवादी संख्या एक ने इंकार कर दिया, और द्वितीय घटना दिनांक 25 अगस्त 2009 को प्रतिवादी संख्या एक द्वारा बेदखल किये जाने की धमकी देना (किन्तु यह घटना भी ठोस आधारों पर सिद्ध नहीं की गयी है)। वस्तुतः वादग्रस्त 5 खसरान की भूमि पर वादीगण-रेस्पो. अपना निर्विवाद विधिक कब्जा साबित कर ही नहीं पाये है। ऐसी स्थिति में उक्त घटनाओं का घटित होना एवं उनके आधार पर वादकरण उत्पन्न होना नहीं माना जा सकता है। अतः तनकी संख्या आठ का निर्णय वादीगण-रेस्पो. के खिलाफ किया जाता है।

तनकी संख्या नौ ***(आया वाद प्रस्तुत करने की तारीख को वादीगण न तो उक्त भूमि पर कब्जा काश्त था, न आज दिन है, न उनके नाम की खातेदारी लागू होने टीनेन्सी एक्ट से लगाकर***

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

***आज दिन तक है, ऐसी सूरत में स्थायी निषेधाज्ञा का वादी वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं होने से दावा खारिज फरमाया जावे?)*** वादीगण-रेस्पो. के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष से संबंधित है, जो तनकी संख्या तीन का ही परिवर्तित स्वरूप है। तनकी संख्या तीन का निस्तारण वादीगण-रेस्पो. के खिलाफ किया जा चुका है, अतः तनकी संख्या नौ का निस्तारण स्वभाविक तौर पर स्वतः ही वादीगण-रेस्पो. के खिलाफ हो जाता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाये जाते है, जो तदनुसार खारिज किये जाते है और अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार करते हुए वादीगण-रेस्पो. का मूल दावा खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिकी पर्चा जारी किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/10/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

# डिक्री बसीगे अपील

## अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

| अपीलाण्ट | | रेस्पोडेण्ट |
|---|---|---|
| 1. गोपाराम पुत्र धुडारामू विश्नोई<br>निवासी खारा (शिमला),<br>तहसील फलोदी<br>जिला जोधपुर<br>2. पारू पुत्री धुडाराम पत्नी बागाराम बाना विश्नोई<br>निवासी सांवरीज, तहसील फलोदी<br>जिला जोधपुर<br>3. गोपाराम पुत्र धुडारामू विश्नोई<br>निवासी खारा (शिमला),<br>तहसील फलोदी<br>जिला जोधपुर<br>4. पारू पुत्री धुडाराम पत्नी बागाराम बाना विश्नोई<br>निवासी सांवरीज, तहसील फलोदी<br>जिला जोधपुर | ब<br>ना<br>म | 1. मंगलाराम पुत्र जसवन्ताराम विश्नोई<br>निवासी खारा (शिमला) तहसील फलोदी<br>जिला जोधपुर<br>2. सुरती पुत्री जसवन्ताराम पत्नी कालूराम के कायममुकामान-<br>a. गोपाराम पुत्र कालुराम विश्नोई<br>b. सहीराम पुत्र कालुराम विश्नोई<br>c. सुगनी पुत्री कालुराम विश्नोई<br>d. रामबाबू पुत्र कालुराम विश्नोई<br>e. अणदाराम पुत्र कालुराम विश्नोई<br>f. पालू पुत्री कालुराम विश्नोई<br>निवासीगण लोहावट मूलराज नगर<br>तहसील लोहावट, जिला जोधपुर<br>3. गोमती पुत्री जसवन्ताराम विश्नोई<br>निवासी लोहावट मूलराजनगर<br>तहसील लोहावट, जिला जोधपुर<br>4. तुलछी पुत्री जसवन्ताराम विश्नोई<br>निवासी ढढू, तहसील फलोदी<br>जिला जोधपुर |

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 फरवरी 2020 सहायक कलेक्टर, फलोदी राजस्व वाद संख्या 204/2009 मंगलाराम व अन्य बनाम गोपाराम इत्यादि**

## दावा बाबत

यह अपील बतारीख 01 अक्तूबर 2020 बहाजरी अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार एवं श्री सिद्धार्थ परिहार मिनजानिब अपीलाण्ड्स एवं प्रत्यथीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गुलाबसिंह चम्पावत एवं श्री ओमप्रकाश विश्नोई उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

समस्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाये जाते है, जो तदनुसार खारिज किये जाते है और अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार करते हुए वादीगण-रेस्पो. का मूल दावा खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग --/------) रूपये ---------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ------/--- अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 01 अक्तूबर 2020 को जारी किया गया।

01/10/2020

(नखतदान बारहठ) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

## खर्चा अपील

| अपीलाण्ट | राशि | रेस्पोडेण्ट | राशि |
|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील<br>2. स्टाम्प वकालतनाम<br>3. इजराय हुक्मनामा<br>4. वकील फीस बाबत<br>मीजान | -NIL- | 1. स्टाम्प वकलातनामा<br>2. स्टाम्प अर्जी<br>3. इजराम हुक्मनामा<br>4. मेहनताना वकील<br>मीजान | -NIL- |

1/10/2020

(नखतदान बारहठ) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर